न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –125 / 2020
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2020 / 00158

अपीलाण्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेण्ट्स**
टोडाराम पुत्र धारूराम जाति जाट निवासी लिलिया तहसील रियांबडी जिला नागौर, राज0		1. भींयाराम पुत्र पुसाराम जाति जाट 2. छोटीदेवी पत्नी पुसाराम जाति जाट 3. हरेन्द्रसिंह पुत्र टोडाराम जाति जाट 4. गणेशराम पुत्र पेमाराम जाति जाट 5. जगदीश प्रसाद पुत्र हेमाराम जाति जाट 6. तुलछाई पत्नी हेमाराम जाति जाट 7. सजनाई पत्नी शिवलाल जाति जाट 8. हुक्माराम पुत्र शिवलाल जाति जाट सभी निवासीगण गांव लिलिया तहसील रियांबडी जिला नागौर 9. तहसीलदार तहसील रियांबडी जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री धर्माराम खुड़खुड़िया।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से श्री रूधाराम जोगपाल रेस्पोडन्ट संख्या 9 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत तहसीलदार रियांबडी द्वारा मुकदमा नम्बर 01 / 2020 भींयाराम वगैरह बनाम टोडाराम वगैरह अधीन धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2020 से असंतुष्ट होकर दिनांक 31.08.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

प्रकरण में वकील रेस्पोडेन्ट श्री रूगाराम का आवेदन अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसमें आदेशिका दिनांक 04.01.21 अनुसार वाद संख्या–110 / 2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2019 की प्रमाणित प्रति को रिकार्ड पर लिया गया है। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट का आवेदन अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसमें आदेशिका दिनांक 15.07.2021 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी द्वारा राजस्व वाद संख्या 110 / 2019 में पारित निर्णय एवं डिक्री की न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर में 223 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत अपील व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर की उक्त संबंध में प्रकरण संख्या 92 / 2020 टोडाराम बनाम रतनला[illegible]राम की आदेशिका दिनांक 28.09.2020 एवं 18.11.20 की प्रमाणित प्रति [illegible] लिया गया है।

वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान [illegible] के तहत् तहसीलदार [illegible] के समक्ष दिनांक 04.06.2020 को इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1447 व 1448, 1368 / 1446, 1446 व 3370 / 1446 गांव लिलिया के खातेदार है। इन खसरान के पास आबादी के पास खसरा नम्बर 1464 के पूर्व में शामलाती फाटक लगाई हुई है व खसरा नम्बर 1464 के आगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:20 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

खसरा नम्बर 1453 व 1454 के बीच सीमा से होता हुआ तथा खसरा नम्बर 1447 के बीच माठ होते हुए एंव खसरा नम्बर 3368 / 1446 की पूर्वी माठ के सहारे होते हुए खसरा नम्बर 3368 / 1446 की उत्तरी माठ के सहारे आगे खेत खसरा नम्बर 1446 की उत्तरी माठ से होते हुए कदीमी रास्ता है जो आज तक चालू है, जिस रास्ते का नजरी नक्शा अपील के साथ पेश किया हुआ है। आवेदन में यह भी तथ्य दर्ज किया गांव आबादी लिलिया से खसरा नम्बर 1463 में सें होकर अपीलांट टोडाराम, चेनाराम पुत्र परसाराम, दरियाव देवी पत्नी परसाराम, महीपाल, दलपत पुत्र रामनिवास, रतनलाल पुत्र धारूराम व सुनिता पुत्री परसाराम की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1464 के दक्षिणी माठ के सहारे सहारे कदीमी रास्ता चलता आ रहा है प्रार्थीगण के उक्त खसरान का एक मात्र रास्ता आबादी के खसरा नम्बर 1464 के माठ के सहारे सहारे ही है अन्य कोई रास्ता नहीं है व अन्त में प्रार्थीगण के उक्त रास्ते पर संयुक्त रूप से लगाई फाटक पर टोडाराम द्वारा ताला लगाकर रास्ता बंद कर दिया है उसे खुलवाये जाने की मांग की गयी।

उक्त आवेदन पेश होने पर तहसीलदार रियांबडी द्वारा हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट ली जाने व आवेदन दर्ज तथ्य सही पाये जाने पर मौके पर रास्ता खुलवाये जाने व खुलवाया जाना संभव नहीं होने पर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये। उक्त आवेदन पर पटवारी द्वारा जांच कर दौराने अपीलांट टोडाराम ने दिनांक 29.06.2020 को जरिये वकील उपस्थित होकर आवेदन का जवाब पेश किया तथा जवाब में आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार किया। प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का रास्ता दक्षिण में स्थित सार्वजनिक कटाणी रास्ते व खेतो के बीच स्थित अन्य खेत की सीमा से होकर स्थित होने का तथ्य प्रकट किया। तत्पश्चात् तहसीलदार रियांबडी द्वारा उक्त आवेदन पर अपीलांट के अन्य सहखातेदारान चेनाराम, दरियावदेवी, महीपाल, रतनलाल व सुनिता को नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर दिये बिना व आवेदन को सुनवाई व निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर निस्तारण हेतु भेजे बिना तथा अपीलांट व अन्य सहखातेदारो की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा मौके से विपरीत बनाई मौका रिपोर्टो व प्रार्थी हरेन्द्रसिंह, जगदीश व भींयाराम के मिथ्या शपथ पत्रों पर अनुचित विश्वास कर आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपील अपीलांट हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

अदालत मातहत द्वारा आवेदन का जवाब, आवेदन के तथ्यों की जांच किये बिना, अपीलांट के सभी सहखातेदारों को नोटिस व सुनवाई का अवसर, एकपक्षीय आदेश दिये बिना व धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत् ग्राम पंचायत से निस्तारण हेतु आवेदन प्रेषित किये बिना व पटवारी हल्का द्वारा प्रथम बार व दुसरी बार अपीलांट व सहखातेदारों की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट पर अनुचित विश्वास करते हुए सुखाधिकार बाबत जांच किये बिना गलत व त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जो आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने तथा पत्रावली पुनः ग्राम पंचायत को निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाने योग्य है।

उक्त आवेदन में प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1464 के सभी खातेदारों को अप्रार्थी पक्षकार दर्ज किये बिना व धारा 251(1) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का उल्लेख किये बिना व सुखाधिकार बाबत अभिवचन, तथ्य व रास्ता की चौडाई, लम्बाई दर्ज किये बिना त्रुटिपूर्वक प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अपीलांट के अलावा अन्य सहखातेदारों को जवाब व सुनवाई का अवसर दिये बिना त्रुटिपूर्वक निर्णय पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त आवेदन धारा 251(1) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् पेश किया गया है विद्वान तहसीलदार रियांबडी द्वारा उक्त आवेदन को अपने रजिस्टर में दर्ज कर आगामी कार्यवाही व जांच हेतु ग्राम पंचायत लिलिया को भे[illegible] ग्राम पंचायत को भेजे जाने की तारीख से आगामी 45 दिनो तक आवेदन पर कार्यवाही क[illegible] ग्राम पंचायत लिलिया को प्राप्त था तथा 45 दिनो के बाद तहसीलदार रियांबडी को पुनः नि[illegible]रने हेतु कानूनन क्षेत्राधिकार प्राप्त था, उक्त आदेशात्मक प्रावधान अधिसू[illegible] आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:20 IST
Reason: SelfAttested

अदालत तहसीलदार रियांबडी द्वारा आवेदन देकर व जवाब आवेदन के तथ्यों पर अप्रार्थी / अपीलांट व अन्य सहखातेदारों को साक्ष्य के लिए विधिनुसार पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया

कलक्टर, नागौर

है। प्रकरण साक्ष्य अप्रार्थी हेतु निश्चित किये बिना ही त्रुटिपूर्वक निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने दिनांक 09.06.2020 को तत्पश्चात् दिनांक 22.07.2020 को अपीलांट व अन्य सहखातेदारान को मौका निरीक्षण बाबत पूर्व सूचना दिये बिना व अपीलांट की उपस्थिति आहूत किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट मौके पर मौका निरीक्षण किये बिना ही तैयार की है व तहसीलदार रियांबडी द्वारा मौका रिपोर्ट को भूअभिलेख निरीक्षक आर.आई. द्वारा सत्यापित करवाये बिना ही उस पर विश्वास करने में त्रुटि की है।

प्रार्थीगण के आवेदन में दर्ज खसरान में आवागमन हेतु कभी भी अपीलांट के खेतों में से होकर आवागमन का सुखाधिकार कभी नहीं रहा हैं। खसरा नम्बर 1470 पर व 1476 के बीच की सीमा से तथा उसके पश्चिम में खसरा नम्बर 1450, 1445 के मध्य सीमा से एंव खसरा नम्बर 1470 पर व 1452 की मध्य सीमा से कटाणी रास्ता से आवागमन होता रहा है खसरा नम्बर 1466 के खातेदार रामचन्द्र पुत्र लालाराम तथा खसरा नम्बर 1465 जीवणराम पुत्र लालाराम की खातेदारी का है जो पुसाराम, टोडाराम के पिता के भाई है व इन खेतो मे सें प्रार्थीगण आवागमन करते रहे है व आज भी धारा 251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी है इस तथ्य की जांच किये बिना अनुचित निर्णय जैर अपील पारित किया है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद संख्या–110 / 2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2019 की प्रमाणित प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है, परन्तु उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपीलान्ट टोडाराम द्वारा अपील प्रस्तुत की हुई है, जो विचाराधीन होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एंव आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार रियांबडी को प्रतिप्रेषित की जावे कि आवेदन को आगामी गुणावगुण पर निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत लिलिया को निर्णय हेतु प्रेषित की जावे व यह भी निर्देश दिया जावे कि आवेदन ग्राम पंचायत लिलिया को प्रतिप्रेषित किये जाने के आगामी 45 दिनों तक ग्राम पंचायत के निर्णय का इंतजार किया जाकर तत्पश्चात् सभी सहखातेदारों को नोटिस व सुनवाई का व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर व पक्षकारान की उपस्थिति में भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करवा कर उस पर पक्षकारान को एतराज व आपत्तियां पेश करने हेतु अवसर दिया जाकर सुखाधिकार बाबत साक्ष्य सबूत लिये जाकर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये जाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1988 पेज–128 से 130, आर.आर.डी. 1994 पेज–444 से 445, आर.आर.डी. 1996 पेज–112 से 116, आर.आर.डी. 1996 पेज–483 से 485, आर.आर.टी. 2012(2) पेज 1203–1204 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री रुघाराम ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियाबड़ी के समक्ष आवेदन दिनांक 04.06.2020 को प्रस्तुत कर मुख्यतः अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1464 की पूर्व में संयुक्त फाटक व दक्षिणी माठ के सहारे होते हुए फिर खेत खसरा नम्बर 1454 व 1453 के बीच में से होते हुए फिर खेत खसरा नम्बर 1448 व 1447 की पूर्वी माठ के सहारे होते हुए फिर खेत खसरा नम्बर 1447 के बीच की माठ के होते हुए, खेत खसरा नम्बर 3368 / 1446 की पूर्वी माठ के सहारे होते हुए फिर खेत खसरा नम्बर 3368 / 1446 की उतरी माठ के सहारे होते हुए फिर खेत खसरा नम्बर 1446 की उतरी माठ के सहारे होते हुए कदिमी रास्ता है, जो ग्राम लिलिया की आबादी खसरा नम्बर 1463 से होकर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 1464 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे कदिमी रास्ता चलता आ रहा है। रेस्पोडेन्टगण को अपने खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 1464 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे ही है अन्य कोई रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:20 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 व अपीलान्ट व अन्य द्वारा ... खेत खसरा नम्बर 1464 की पूर्व से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे कदिमी रास्ते ... की फाटक संयुक्त खर्चा से लगाई थी। अपीलान्ट ने उक्त संयुक्त फाटक के दिनांक 01.06.2020 को ताला लगा दिया व रेस्पोडेन्टगण के कदीमी रास्ते को रोक दिया, जिससे रेस्पोडेन्टगण अपने खातेदारी के खसरान में पैदल आ जा नहीं सकते व अपने साधन ट्रेक्टर ट्रोली व मोटर साइकिल, कार व अपने पशुओं को

कलक्टर, नागौर

नहीं ले जा सकने आदि निवेदन करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट चाही। पटवारी हल्का लिलिया मौके पर पहुंच कर मौका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2020 तैयार की जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1464 ग्राम की आबादी में खसरा नम्बर 1463 के चिपता हुआ है। मौके पर खसरा नम्बर 1464 में से होते हुए कदिमी रास्ता मौके पर मौजूद है जो इस खसरा की पूर्वी व दक्षिणी माद के सहारे आगे के खसरा नम्बर 1447, 1448, 1453, 1454,1464, 1465, 1446, 3370/1446, 3368/1446 में जाने के लिए काम में लिया जा रहा है। इस कदीमी रास्ता के अलावा कोई अन्य रास्ता इन खसरों में जाने के लिए नहीं है। खसरा नम्बर 1464 की पूर्वी माद से जहां से कदीमी रास्ता प्रारम्भ होता है, मौके पर लोहे की फाटक लगी हुई है, जिसकी चाबी खसरा नम्बर 1464 के सहखातेदार अपीलान्ट रखता है, जिसे फाटक का ताला हटाने को कहने पर ताला हटाने से मना कर दिया। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किये तारिख पेशी 22.06.2020 को अपीलान्ट टोडाराम अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ व मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होने की बात कहने पर दिनांक 24.06.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका देखा गया जिसमें खसरा संख्या 1464 की पूर्वी व दक्षिणी माद के सहारे रास्ते के निशानात मौजूद होना पाया। तत्पश्चात दिनांक 29.06.2021 को अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर रेस्पोंडेन्टगण द्वारा बताये गये स्थान पर कोई रास्ता नहीं होने तथा रेस्पोंडेन्टगण के खेतों में आने जाने हेतु रास्ता इन खेतों के दक्षिण में एक-एक खेत छोड़कर स्थित कटाणी रास्ते से फंटकर आना जो सबसे सुगम, सरल व कदीमी रास्त होना अवगत कराया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियांबड़ी के आदेश क्रमांक-राजस्व/2020/92 दिनांक 06.07.2020 की पालना में पटवारी हल्का लीलीया द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 22.07.2020 मौके पर तैयार की गई जिसके अनुसार ग्राम लीलीया के खसरा नम्बर 1454, 1453, 1447, 1448, 3368/1446, 3370/1446 में जाने के लिए कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 1463 व 1464 में से होते हुए जाता है, जो कि पिछले कई दशकों से चल रहा है। उक्त खेत खसरान में आने जाने का रास्ता इन खेते के दक्षिण में एक-एक खेत छोड़कर स्थित कटाणी रास्ता से फंटकर आने का अप्रार्थी का कथन सही नहीं है। इस संबंध में पटवारी लीलीया द्वारा नजरी नक्शा भी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी द्वारा भी राजस्व वाद संख्या-110/19 रतनलाल उर्फ रतनाराम बनाम टोडाराम वगैरह दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2019 के अनुसार भी टोडाराम (जो हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट है) के बंट में मौजा लीलीया के खसरा नम्बर 1464 रकबा 1.15 हैक्टयर में से रकबा 0.05 हैक्टयर दक्षिणी माद के सहारे सहारे रास्ता हेतु घोषित की हुई है। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपीलान्ट टोडाराम द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 92/2020 टोडाराम बनाम रतनलाल उर्फ रतनाराम की आदेशिका दिनांक 28.09.2020 एवं 18.11.2020 प्रमाणित प्रति वकील अपीलान्ट द्वारा अवश्य प्रस्तुत की गई है, परन्तु न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं होने का कथन करते हुए वकील रेस्पोंडेन्ट श्री रूघाराम ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है। वकील रेस्पोंडेन्ट ने बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(2) पेज 847-850 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

राजपैरोकार ने वकील रेस्पोंडेन्ट श्री रूघाराम की बहस का पुरजोर समर्थन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज [illegible]।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। [illegible] द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्यापन [illegible] किया। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 8 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसील[illegible] दिनांक 04.06.2020 को प्रस्तुत कर मुख्यतः अपने खातेदारी के खेत [illegible] नम्बर 1464 [illegible] में संयुक्त फाटक व दक्षिणी माद के सहारे होते हुए फिर खेत खसरा नम्बर 1454 व 1453 के बीच में से होते हुए फिर खेत खसरा नम्बर 1448 व 1447 की पूर्वी माद के सहारे होते हुए फिर खेत खसरा नम्बर 1447 के बीच की माद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:20 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

होते हुए, खेत खसरा नम्बर 3368/1446 की पूर्वी माठ के सहारे होते हुए फिर खेत खसरा नम्बर 3368/1446 की उतरी माठ के सहारे होते हुए फिर खेत खसरा नम्बर 1446 की उतरी माठ के सहारे होते हुए कदिमी रास्ता है, जो ग्राम लिलिया की आवादी खसरा नम्बर 1463 से होकर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 1464 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे कदिमी रास्ता चलता आ रहा है। रेस्पोडेन्टगण को अपने खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 1464 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे ही है अन्य कोई रास्ता नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 व अपीलान्ट व अन्य द्वारा उक्त खेत खसरा नम्बर 1464 की पूर्व से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे कदिमी रास्ते पर लगभग 5 वर्ष पूर्व लोहे की फाटक संयुक्त खर्चा से लगाई थी। अपीलान्ट ने उक्त संयुक्त फाटक के दिनांक 01.06.2020 को ताला लगा दिया व रेस्पोडेन्टगण के कदीमी रास्ते को रोक दिया, जिससे रेस्पोडेन्टगण अपने खातेदारी के खसरान में पेदल आ जा नहीं सकते व अपने साधन ट्रेक्टर ट्रोली व मोटर साइकिल, कार व अपने पशुओं को नहीं ले जा सकते आदि निवेदन करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट चाही। पटवारी हल्का लिलियां मौके पर पहुंच कर मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2020 तैयार की जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1464 ग्राम की आबादी में खसरा नम्बर 1463 के चिपता हुआ है। मौके पर खसरा नम्बर 1464 में से होते हुए कदिमी रास्ता मौके पर मौजूद है जो इस खसरा की पूर्वी व दक्षिणी माठ के सहारे आगे के खसरा नम्बर 1447, 1448, 1453, 1454,1464, 1465, 1446, 3370/1446, 3368/1446 में जाने के लिए काम में लिया जा रहा है। इस कदीमी रास्ता के अलावा कोई अन्य रास्ता इन खसरों में जाने के लिए नहीं है। खसरा नम्बर 1464 की पूर्वी माठ से जहां से कदीमी रास्ता प्रारम्भ होता है, मौके पर लोहे की फाटक लगी हुई है, जिसकी चाबी खसरा नम्बर 1464 के सहखातेदार अपीलान्ट रखता है, जिसे फाटक का ताला हटाने को कहने पर ताला हटाने से मना कर दिया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये तथा आगामी तारीख पेशी 22.06.2020 को अपीलान्ट टोडाराम उपस्थित हुआ व उसकी तरफ से अधिवक्ता श्री उम्मेदपुरी ने वकालतनामा पेश किया एवं मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं होने का कथन करने पर दिनांक 24.06.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा दिनांक 24.06.2020 को मौका देखा गया, जिसमें पाया कि खसरा नम्बर 1464 को छोड़कर अन्य समस्त खसरे जिनमें से कदीमी रास्ता बताया गया है, में रास्ता चालू था, जबकि खसरा संख्या 1464 में बुवाई की हुई थी, लेकिन खसरा नम्बर 1464 की पूर्वी माठ के सहारे रास्ते निशानात मौजूद थे। दिनांक 29.06.2020 को अपीलान्ट टोडाराम द्वारा जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा बताये गये स्थान पर कोई रास्ता नहीं होने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के खेतों तक आने जाने हेतु रास्ता इन खेतों के दक्षिण में एक–एक खेड़ छोड़कर स्थित कटाणी रास्ते से फंटकर आना तथा जो कदीमी रास्ता एवं सबसे सरल व सुगम रास्ता एवं कदीमी होना बताये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियांबड़ी के आदेश कमांक–राजस्व/2020 /92 दिनांक 06.07.2020 की पालना में पटवारी हल्का लीलीया द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 22.07.2020 मौके पर तैयार की गई जिसके अनुसार ग्राम लीलीयां के खसरा नम्बर 1454, 1453, 1447, 1448, 3368/1446, 3370/1446 में जाने के लिए कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 1463 व 1464 में से होते हुए जाता है, जो कि पिछले कई दशकों से चल रहा है। उक्त खेत खसरान में आने जाने का रास्ता इन खेतों के दक्षिण में एक–एक खेत छोड़कर स्थित कटाणी रास्ता से फंटकर आने का अप्रार्थी का कथन सही नहीं होना भी पटवारी लीलीया द्वारा रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है। इ[illegible] द्वारा नजरी नक्शा भी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है। इस प्रकार पटवारी द्वारा हस्तगत [illegible] दो बार मौका देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसे नहीं मानने का कोई ठोस आधार [illegible]। इसके अलावा न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी द्वारा भी राजस्व [illegible] रतनाराम बनाम टोडाराम वगैरह दावा अन्तर्गत धारा 88,53 [illegible] अधिनियम 1955 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.06.2019 के अनुसार भी टोडाराम (जो हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट है) के बंट में मौजा लीलीया के खसरा नम्बर 1464 रकबा 1.15 हैक्टयर में से रकबा 0.05 हैक्टयर दक्षिणी माठ के सहारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:20 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

सहारे रास्ता हेतु घोषित की हुई है। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपीलान्ट टोडाराम द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 92 / 2020 टोडाराम बनाम रतनलाल उर्फ रतनाराम की आदेशिका दिनांक 28.09.2020 एवं 18.11.2020 प्रमाणित प्रति वकील अपीलान्ट द्वारा अवश्य प्रस्तुत की गई है, परन्तु न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है। वकील अपीलान्ट ने ऐसी कोई ठोस एवं विश्वनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिसके आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जा सके। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:20 IST
Reason: SelfAttested